[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 02/2018- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 20 **जनवरी, 2018**

सा.का.नि. ………. (अ)– भारत सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिश पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 35/2017-केंद्रीय कर, सा.का.नि. 1164(अ), तारीख 15 सितंबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 5 के स्तंभ (3) में, "20 जनवरी, 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर, "22 जनवरी, 2018" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 1164(अ), तारीख 15 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 35/2017-केंद्रीय कर, तारीख 15 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।